अनुमण्डल दण्डाधिकारी का न्यायालय, चाण्डिल

विकम सिंह

एस0ए0आर0 वाद सं0 02/2019–20 **आदेश**

बनाम

मो0 हसन ईमाम एवं अन्य

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
1	2	3
22.12.2020	अभिलेख उपस्थापित। प्रस्तुत वाद छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 198 की धारा 71(A) के अन्तर्गत भू–वापसी की कार्रवाई हेतु प्रारम्भ की गई। आवेदक विकम सिंह, पिता– स्व0 सुकदेव सिंह, ग्राम– कपाली, थाना– चाण्डिल, जिला– सरायकेला–खरसावाँ के निम्न वर्णित भूमि को विपक्षी (1) मो0 हसन ईमाम, पिता– अब्दुल गफूर, ग्राम– हो0न0 3 रोड नं0 1, मानगो जमशेदपुर (2) अली असगर (3) दाउद हुसैन, दोनों के पिता– अब्दुल सत्तार, हो0नं0 1 रोड नं0– जाकीरनगर, मानगो, जमशेदपुर के अवैध दखल से वापसी हेतु मुकदमा दायर किया गया है।	

भूमि का विवरण

मौजा	थाना नं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा
कपाली	332	301	1738	49.5 डी0

अंचल अधिकारी, चाण्डिल के पत्रांक– 110, दिनांक– 24.09.2020 द्वारा भूमि से संबंधित जाँच प्रतिवेदन की मांग किया गया। विपक्षी को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। आवेदक का कहना है कि आदिवासी सदस्य है। तथा मुसिफ न्यायालय में दायर टाईटल सूट के आधार पर भूमि प्राप्त है, जिसे विपक्षी द्वारा चाहरदिवारी निर्माण कर अवैध दखल किया गया है।

आवेदक की ओर से निम्न कागजात प्रस्तुत किया गया।

1. वार्ड सदस्य द्वारा निर्गत वंशावली।
2. मुसिफ न्यायालय से दायर टाईटल सूट आदेश की प्रति।
3. ऑनलाईन पंजी II की प्रति।
4. वर्ष 2015–16 तक लगान का छायाप्रति।
5. कारण पृच्छा।

विपक्षी द्वारा दिनांक– 23.10.2019 को आवेदन के साथ विवादित बिकी दलील सं0– 1916 दिनांक– 13.06.1998 एवं बिकी दलील सं0– 1917, दिनांक– 13.06.1998 प्रस्तुत किया गया है। विपक्षी लगातार अनुपस्थित रहे है।

कार्यालय ज्ञापांक– 1220/वि0, दिनांक– 17.12.2020 द्वारा दिनांक– 22.12.2020 को सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित करते हुए नोटिस निर्गत किया। परन्तु विपक्षी निर्धारित तिथि को अनुपस्थित थे।

अंचल अधिकारी, चाण्डिल ने अपने पत्रांक– 784, दिनांक– 09.11.2020 द्वारा उक्त भूमि से संबंधित जाँच प्रतिवेदन के आलोक में पंजी II के अनुसार मौजा– कपाली, खाता सं0– 301, खेसरा सं0– 1738, रकवा– 69 डी0 भूमि नामांतरण मुकदमा सं0– 35/1965–66 के आदेशानुसार द्रौपदी भुमिजानी, पति– पहाड़ भूमिज के नाम से पंजी II में दर्ज है तथा लगान वित्तीय वर्ष 2016–17 तक अद्यतन है। मौजा– कपाली, थाना सं0– 332, खाता सं 301, खेसरा नं0– 1738, रकवा– 49.5 डी0 भूमि पर (1) मो0 हसन ईमाम, पिता– अब्दुल गफूर, ग्राम– हो0न0 3 रोड नं0 1, मानगो जमशेदपुर (2) अली असगर तथा दाउद हुसैन, दोनों के पिता– अब्दुल सत्तार मकान बना कर रह रहे है।

प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का पक्ष सुना। द्वितीय पक्ष लगातार अनुपस्थित रहें। उपरोक्त तथ्यों के सांगोपांग अध्ययन के आलोक में इस निर्णय पर पहुँचा की विपक्षी का प्रश्नगत भूमि मौजा– कपाली, थाना सं0– 332, खाता सं0– 301, खेसरा सं0– 1738, रकवा– 49.5 डी0 भूमि पर दखल का कोई आधार नहीं है। प्रश्नगत भूमि पर विपक्षी का अवैध दखल है।

अतः विपक्षी को उक्त विवादित भूमि से 15(पन्द्रह) दिनों के अन्दर प्रथम पक्ष को वापस करने का आदेश दिया जाता है। अंचल अधिकारी, चाण्डिल को निदेश दिया जाता है कि प्रथम पक्ष को सीमांकन कराते हुए हस्तगत करावें, तदनुसार दखल देहानी का परवाना आदेश निर्गत करे।

वाद की कार्यवाही समाप्त किया जाता है एवं अभिलेख बंद किया जाता है।

लेखापित

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
चाण्डिल।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
चाण्डिल।